| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MHPU200218892009** | दाखल तारीख | १४/०९/२००९ | | |
| | नोंदणी तारीख | १४/०९/२००९ | | |
| | निकाल तारीख | २७/०८/२०२६ | | |
| | कालावधी | वर्ष | महिने | दिवस |
| | | १६ | ११ | १३ |

| | |
|---|---|
| **घोडनदी, शिरुर, जि. पुणे येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, यांचे न्यायालयात** | |
| **पिठासीन अधिकारी चंद्रमोहन मो. खारकर** | |
| **न्यायनिर्णयाची तारीख** | २७/०८/२०२६ |
| **नियमीत फौजदारी खटला क्रमांक** | २६७/२००९ |
| **निशाणी क्रमांक** | ५८ |
| **प्रथम खबर क्रमांक** | ७८०/२०२३<br>भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९८–अ, ३२३, ५०४, ५०६ सह कलम ३४ अंतर्गत. |
| **पोलीस ठाणे** | शिरुर, ता. शिरुर |

| | | |
|---|---|---|
| तक्रारदार | | **महाराष्ट्र शासन** तर्फे<br>पोलिस ठाणे अधिकारी,<br>पोलिस ठाणे शिरुर,<br>ता. शिरुर, जि. पुणे |
| अभियोग पक्षातर्फे | | **श्री. एस. एम. आरणे, विद्वान सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता.** |
| आरोपी | ०१. | **रावसाहेब यशवंत राऊत**<br>वय:– ३२ वर्षे, व्यवसाय:– शेती, |

| | | |
|---|---|---|
| | ०२. | **यशवंत बबन राऊत,**<br>वय:– ५५ वर्षे, व्यवसाय:– न्हावी, |
| | ०३. | **लिलाबाई यशवंत राऊत**<br>वय:– ४८ वर्षे, व्यवसाय:– शेती, |
| | ०४. | **भाऊसाहेब यशवंत राऊत**<br>वय:–३४ वर्षे, व्यवसाय:– न्हावी, |
| | ०५. | **सारीका भाऊसाहेब राऊत**<br>वय:–२६ वर्षे, व्यवसाय:– शेती,<br>आरोपी क्र.१ ते ५ रा. चिंचणी, ता. शिरुर, जि. पुणे |
| | ०६. | **सुनिता अनिल मोरे**<br>वय:–३६ वर्षे, व्यवसाय:– घरकाम,<br>रा. सणसवाडी, ता. शिरुर, जि. पुणे |
| आरोपीं तर्फे | | **विद्वान वकील श्री. मोरे** |

**भाग "ब"**

| | |
|---|---|
| गुन्हा घडल्याची तारीख | ०३/११/२००७ ते ०६/०७/२००९ |
| प्रथम खबरची तारीख | ०६/०७/२००९ |
| अंतीम आरोपपत्र दाखल केल्याची तारीख | १४/०९/२००९ |
| दोषारोपपत्राची तारीख | ०१/०४/२०२१ |
| पुरावा नोंदविणे प्रारंभ केल्याची तारीख | २२/०४/२०२१ |
| न्यायनिर्णयाची राखीव असलेली तारीख | –– |
| न्यायनिर्णयाची तारीख | २७/०८/२०२६ |
| गुन्हासाठी शिक्षा, असल्यास | काहीही नाही. |

## आरोपींचा तपशील.

| अ.क्र. | आरोपीचे नाव | अटकेचा दिनांक | जामिनाचा दिनांक | दाखल झालेले गुन्हे | दोषी किंवा निर्दोष | झालेली शिक्षा | संपरीक्षे दरम्यान आरोपीचा अटकेचा कालावधी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | रावसाहेब यशवंत राऊत | १३/०७/२००९ | १३/०७/२००९ | ४९८–अ, ३२३, ५०४, ५०६ सह कलम ३४ | निर्दोष | निरंक | निरंक |
| २. | यशवंत बबन राऊत | १३/०७/२००९ | १३/०७/२००९ | ४९८–अ, ३२३, ५०४, ५०६ सह कलम ३४ | निर्दोष | निरंक | निरंक |
| ३. | लिलाबाई यशवंत राऊत | १३/०७/२००९ | १३/०७/२००९ | ४९८–अ, ३२३, ५०४, ५०६ सह कलम ३४ | निर्दोष | निरंक | निरंक |
| ४. | भाऊसाहेब यशवंत राऊत | १३/०७/२००९ | १३/०७/२००९ | ४९८–अ, ३२३, ५०४, ५०६ सह कलम ३४ | निर्दोष | निरंक | निरंक |
| ५. | सारीका भाऊसाहेब राऊत | १३/०७/२००९ | १३/०७/२००९ | ४९८–अ, ३२३, ५०४, ५०६ सह कलम ३४ | निर्दोष | निरंक | निरंक |
| ६. | सुनिता अनिल मोरे | १३/०७/२००९ | १३/०७/२००९ | ४९८–अ, ३२३, ५०४, ५०६ सह कलम ३४ | निर्दोष | निरंक | निरंक |

:: **न्या य नि र्ण य** ::

**( जाहीर दिनांक – २७/०८/२०२६ )**

प्रस्तुत प्रकरणात आरोपींविरुध्द भारतीय दंड विधान, १८६० चे कलम ४९८–अ, ३२३, ५०४, ५०६ सह कलम ३४ प्रमाणे संपरिक्षा करण्यात आली.

०२. **अभियोग पक्षाचे कथन संक्षिप्तपणे खालील प्रमाणेः**

दिनांक ०३/११/२००७ ते ०६/०७/२००९ रोजी दरम्यान मौजे चिंचणी, ता. शिरुर, जि. पुणे येथे गावचे हद्दीत आरोपी यांनी संगणमताने फिर्यादीने माहेरुन आई–वडीलांचेकडुन दुकान टाकण्यासाठी रक्कम रू.५०,०००/– आणण्याचे कारणावरुन फिर्यादीस मारहाण करुन शिवीगाळ, दमदाटी करुन उपाशीपोटी ठेवुन तिचा मानसिक व शारिरीक छळ केला. सबब, फिर्यादीने दिनांक ०६/०७/२००९ रोजी घटनेची फिर्याद दाखल केली.

०३. फिर्यादीच्या अनुषंगाने आरोपींविरूध्द गु.र.नं. २१०/२००९ भारतीय दंड विधान, १८६० चे कलम ४९८–अ, ३२३, ५०४, ५०६ सह कलम ३४ प्रमाणे गुन्हा नोंदवण्यात आला. गुन्हयाचा तपास पो.हे.कॉ. बी.जी. मोरे यांच्याकडे देण्यात आला. तपासादरम्यान त्यांनी साक्षीदारांची तपास टिपणे नोंदवली. आरोपींविरूध्द पुरावा मिळून आल्याने ठाणे अंमलदार शिरुर पोलीस ठाणे यांनी आरोपींविरूध्द दोषारोपपत्र दाखल केले.

०४. आरोपींविरूध्द दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर समन्स काढण्यात आले. आरोपीं समन्स स्विकारून न्यायालयात हजर झाल्यानंतर आदेशाप्रमाणे आरोपींनी

जामिनपत्र व बंधपत्र दिले. आरोपींविरूध्द निशाणी ४४ लगत भारतीय दंड विधान, १८६० चे कलम ४९८–अ, ३२३, ५०४, ५०६ सह कलम ३४ प्रमाणे दोषारोप नोंदवण्यात आला. तो त्यांना मराठी भाषेत वाचून दाखवला. आरोपींनी तो नाकबूल केला व संपरिक्षेस जाण्याची तयारी दर्शविली.

**०५.** अभियोग पक्षाने आरोपींविरुध्द गुन्हा सिध्द करण्यासाठी खालील साक्षीदार तपासले.

| भाग "क" | | | |
|---|---|---|---|
| **अ. अभियोग पक्षाने तपासलेल्या साक्षीदाराची यादी** | | | |
| **अ. क्र.** | **नाव** | **साक्षीदाराचे स्वरुप** | **नि. क्र.** |
| अ.सा.क्र. १ | प्रकाश आबासाहेब पवार | पंच साक्षीदार | ५१ |
| अ.सा.क्र. १ | राम लक्ष्मण जेवुगले | पंच साक्षीदार | ५२ |

| **ब. बचाव पक्षाने तपासलेल्या साक्षीदाराची यादी** | | | |
|---|---|---|---|
| **अ. क्र.** | **नाव** | **साक्षीदाराचे स्वरुप** | **नि. क्र.** |
| **:: नि रं क ::** | | | |
| **क. न्यायालयाने स्वतः तपासलेल्या साक्षीदाराची यादी** | | | |
| **अ. क्र.** | **नाव** | **साक्षीदाराचे स्वरुप** | **नि. क्र.** |
| **:: नि रं क ::** | | | |

**०६.** अभियोग पक्षाने आरोपींविरुध्द गुन्हा सिध्द करण्यासाठी खालील दस्ताऐवजावर आपली भिस्त ठेवली.

| भाग "क" | | |
|---|---|---|
| **अभियोग पक्षाने सादर केलेल्या दस्ताऐवजांची यादी** | | |
| **अ. क्र.** | **नि. क्र.** | **वर्णन** |
| **:: नि रं क ::** | | |

**०७.** बचाव पक्षाने खालील दस्ताऐवजावर आपली भिस्त ठेवली.

| भाग "क" | | |
|---|---|---|
| **बचाव पक्षाने सादर केलेल्या दस्ताऐवजांची यादी** | | |
| **अ. क्र.** | **निशाणी क्रमांक** | **वर्णन** |
| **:: नि रं क ::** | | |

**०८.** न्यायालयाने स्वतः खालील दस्ताऐवजावर दाखल केले.

| भाग "क" | | |
|---|---|---|
| **न्यायालयाने स्वतः दाखल केलेल्या दस्तांऐवजाची यादी** | | |
| **अ. क्र.** | **निशाणी क्रमांक** | **वर्णन** |
| **:: निरंक ::** | | |

**०९.** निशाणी १ वरील आदेशान्वये अभियोग पक्षाचा पुरावा बंद करण्यात आला.

**१०.** आरोपींविरूध्द कोणताही सबळ पुरावा अभिलेख सदरी न आल्याने आरोपींची फौजदारी प्रकिया संहिता, १९७३, कलम ३१३ प्रमाणेचे निवेदन नोंदवण्यात आले नाही.

**११.** युक्तीवाद ऐकला. खालील निर्धारण बिंदु माझे विचारार्थ उपस्थित झाले. त्यावरील निष्कर्ष मी कारणमिमांसे सहीत खालील प्रमाणे नोंदवितो.

| **अ.क्र.** | **निर्धारण बिंदु** | **निष्कर्ष** |
|---|---|---|
| ०१. | अभियोग पक्ष सिध्द करतो काय की, आरोपींनी संगनमताने दिनांक ०३/११/२००७ रोजीपासुन ते दिनांक ०६/०७/२००९ रोजी दरम्यान वेळोवेळी माहेरहुन वडीलांकडुन दुकान टाकण्यासाठी रक्कम रू.५०,०००/– आणण्याचे कारणावरुन तिला उपाशीपोटी ठेवुन तिचा मानसिक व शारिरीक छळ केला? | **नकारार्थी** |
| ०२. | अभियोग पक्ष सिध्द करतो काय की, वरील तारीख, ठिकाणी व वेळी आरोपींनी संगनमत करुन फिर्यादीस माहेरुन वडीलांकडुन दुकान टाकण्यासाठी रक्कम रू.५०,०००/– आणण्याचे कारणावरुन फिर्यादीस मारहाण केली ? | **नकारार्थी** |
| ०३. | अभियोग पक्ष सिध्द करतो काय की, वरील तारीख, ठिकाणी व वेळी आरोपींनी संगनमत करुन फिर्यादीस शिवीगाळ केली ? | **नकारार्थी** |
| ०४. | अभियोग पक्ष सिध्द करतो काय की, वरील तारीख, ठिकाणी व वेळी तुम्ही आरोपींनी संगनमत करुन फिर्यादीस दमदाटी केली ? | **नकारार्थी** |
| ०५. | कोणता गुन्हा सिध्द होतो ? | **नकारार्थी** |
| ०६. | अंतिम आदेश काय ? | **आरोपींची निर्दोश मुक्तता.** |

:: **कारणमिमांसा** ::

**निर्धारण बिंदु क्रं १ ते ४ करीता**:

**१२.** निर्धारण बिंदु क्र. १ ते ४ हे समान तथ्यांवरती व पुराव्यावरती आधारीत असल्यामुळे त्यांचे विवेचन मी एकत्रीतरित्या करीत आहे.

**१३.** उपरोक्त नमुद दिवशी वेळी व ठिकाणी आरोपी यांनी संगणमताने फिर्यादीने माहेरुन आई–वडीलांचेकडुन दुकान टाकण्यासाठी रक्कम रू.५०,०००/– आणण्याचे कारणावरुन फिर्यादीस मारहाण करुन शिवीगाळ, दमदाटी करुन उपाशीपोटी ठेवुन तिचा मानसिक व शारिरीक छळ केला असे अभियोगपक्षाचे आरोपीविंविरुध्द आरोप आहेत. सदरचे आरोप सिध्द करण्याकरीता अभियोगपक्षातर्फे दोन साक्षीदारांची साक्ष तपासण्यात आलेली आहे. सदर दोन्ही साक्षीदार हे घटनास्थळ पंचनाम्यावरील पंच साक्षीदार असुन दोन्ही साक्षीदारांनी अभियोगपक्षास पुरक व सुसंगत अशी साक्ष दिलेली नाही. सहा. सरकारी अभियोक्ता यांनी न्यायालयीन परवानगीने दोन्ही साक्षीदार यांना उत्तरसुचक प्रश्न विचारली परंतु दोन्ही साक्षीदारांनी विचारलेल्या सर्व उत्तरसुचक प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी दिली. सबब, सदरहु दोन्ही साक्षीदारांचा पुरावा विश्वासार्ह धरता येणार नाही. अभियोगपक्षास पुरेशी संधी देवुनही फिर्यादी, तपासी अधिकारी, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार व इतर स्वतंत्र साक्षीदार यांची साक्ष नोंदविण्यात आलेली नाही.

**१४.** प्रस्तुत प्रकरणी अभियोग पक्षाने आरोपींविरूध्द भारतीय दंड विधान, १८६० चे कलम ४९८–अ, ३२३, ५०४, ५०६ सह कलम ३४ प्रमाणेचा गुन्हा सिध्द करण्यासाठी आवश्यक घटकांची पूर्तता केलेली नाही व सदरचा गुन्हा निसंशयरित्या आरोपींनीच केला ही बाब सिध्द केलेली नाही. **सबब मी निर्धारण बिंदु १ ते ४ चे निष्कर्ष नकारार्थी नोंदवत आहे.**

**<u>निर्धारण बिंदु क्रं ५ करीता</u>**:

**१५.** आरोपींविरूध्द कोणताही गुन्हा सिध्द होत नाही. सबब निर्धारण बिंदु क्र. १ ते ४ प्रमाणेचा गुन्हा सिध्द होत नाही. म्हणुन मी निर्धारण बिंदु क्र. ५ चे उत्तर नकारार्थी नोंदवले आहे. करीता आरोपीं निर्दोष मुक्त होण्यास पात्र आहे. **<u>सबब, निर्धारण बिंदु क्र. ६ करीता मी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करत आहे.</u>**

:: **<u>आ दे श</u>** ::

| | |
|---|---|
| **०१.** | आरोपी क्र. १ ते ६ यांची भारतीय दंड विधान, १८६० चे कलम ४९८–अ, ३२३, ५०४, ५०६ सह कलम ३४ प्रमाणे दंडनीय गुन्हयातून फौजदारी प्रक्रीया संहिता, १९७३ चे कलम २४८(१) नुसार निर्दोश मुक्तता करण्यात येते. |
| **०२.** | आरोपींचा सध्याचा जामीन व जातमुचलका रद्द करण्यात येतो. |
| **०३.** | आरोपींनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम ४३७ (अ) प्रमाणे पूर्तता करावी. |
| | (न्यायनिर्णय खुल्या न्यायालयात जाहीर करण्यात आला.) |

CHANDRAMOHAN MOHAN KHARKAR

Digitally signed by CHANDRAMOHAN MOHAN KHARKAR
Date: 2026.08.27 17:09:03 +0530

दिनांक: २७/०८/२०२६.
स्थळ : शिरुर.

**( चंद्रमोहन मो. खारकर )**
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग,
घोडनदी, ता. शिरुर, जि. पुणे.

**CERTIFICATE**

I affirms that the contents of this P.D.F. file order are same word for word as per original order -

| | |
|---|---|
| Name of the Court :- | **Shri. C. M. Kharkar** Judicial Magistrate First Class, Ghodnadi (Shirur) Pune |
| Name of the Steno :- | V.M. Ghungarad |
| Date of Order :- | 27/08/2026 |
| Order signed by presiding officer :- | 27/08/2026 |
| Order uploaded on :- | 27/08/2026 |